दिनांक 13.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 28/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा की गयी उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा आज दिनांक 13.01.2026 को पुलिस मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

- बैठक में सर्वप्रथम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के **राज्य स्तरीय सम्मेलन-2025 (पुलिस मंथन)** के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी अधिकारियों को बधाई दी गयी तथा बताया गया कि सम्मेलन के 11 सत्रो में रखे गये सभी विचारों/प्रस्तावों पर मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी गयी है । अतः सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित विचारों के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करा ली जाये।

- मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध **जीरो टॉलरेंस** नीति के तहत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में चिन्हित अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध सख्त, प्रभावी एवं निरंतर वैधानिक कार्रवाई जारी रखी जाये । अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।

- **मिशन शक्ति केन्द्रों** की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कहा कि मिशन शक्ति केन्द्रों के सफल क्रियान्वयन के पूरे प्रदेश से अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे है तथा मिशन शक्ति केन्द्रों द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियानों के माध्यम से, पुलिस विभाग की छवि में निरन्तर सुधार हो रहा है और जनता के साथ अधिक सकारात्मक संबंध बन रहे है।

  पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि पूर्व में मिशन शक्ति केन्द्रो की समीक्षा के दौरान प्राप्त हुए लाभप्रद योजनाओं को सभी जनपदो/कमिश्नरेट द्वारा अपने यहाँ क्रियान्वित कराते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सहायता एवं सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति केन्द्रों को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील एवं जनोपयोगी बनाया जाये।

- **Zero Fatality District (ZFD)** अभियान के प्रथम चरण में प्रदेश के 20 जनपदों में लागू किये जाने के पश्चात अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है । जिसके दृष्टिगत अब इस अभियान को द्वितीय चरण में प्रदेश के शेष सभी 55 जनपदों में लागू किया जायेगा ।

  Zero Fatality अभियान को पूरे प्रदेश में सफल बनाये जाने हेतु जागरूकता एवं तकनीकी उपायों को और अधिक सुदृढ़ करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को न्यूनतम करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये ।

- राज्य स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान उ0प्र0 पुलिस द्वारा लांच किये गये **यक्ष ऐप** के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कहा गया कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु पूर्व में संचालित आपरेशन पहचान, आपरेशन त्रिनेत्र, बीट प्रहरी आदि के माध्यम से चलाये जा रहे अभियानो को इस ऐप में समाहित किया गया है इस ऐप के संचालन हेतु एक एसओपी तैयार कर सभी को प्रेषित की जा चुकी है, सभी अधिकारी उक्त एसओपी

का अक्षरशः अनुश्रवण कर ले तथा उसके सफल क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में यक्ष ऐप में फीड किये गये सभी डाटा का आरक्षी से लेकर प्रत्येक स्तर पर उसकी जाँच करा ले ताकि पूर्व में फीड डाटा में यदि कोई त्रुटि या कमी रह गयी हो तो उसको सही किया जा सकें।

यक्ष ऐप में अपराधियों की पहचान हेतु AI Powered Facial Recognition एवं AI Powered Voice Search की व्यवस्था उपलब्ध है, जिससे घटना के अनावरण व अपराधों के रोकथाम में मदद मिलेगी। पुलिस महानिदेशक द्वारा ऐप के प्रभावी उपयोग, प्रशिक्षण एवं फील्ड स्तर पर इसके अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता, विश्वसनीयता एवं जनसेवा के स्तर को निरन्तर सुदृढ़ किया जाये।

दिनांक 13.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 29/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा झाँसी इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 13.01.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ एवं झाँसी इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा श्री रामपाल सैनी निवासी वृन्दावन गार्डन साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद से विवेचना में नाम न बढ़ाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री मयंक कुमार अरोरा के नेतृत्व में महिला रिपोर्टिंग चौकी थाना परिसर साहिबाबाद गाजियाबाद से **महिला उ0नि0 भुवनेश्वरी** पुत्री स्व0 महेशचन्द्र निवासी ग्राम गुआलरा थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ को **45 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन झाँसी इकाई द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार निवासी ग्राम परसैया थाना शाहजहाँपुर जनपद झाँसी से पिता के सेवानिवृत्त उपरान्त मिलने वाले देयक लाभ को बरामद कराये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक शादाब खान के नेतृत्व में निर्माण खण्ड-3 लोक निर्माण विभाग प्रसासनिक कक्ष से **वरिष्ठ सहायक संतोष कुमार निरंजन** (निर्माण खण्ड-3 लोक निर्माण विभाग झाँसी) पुत्र स्व0 रामनिवास निवासी माँ भगवती आईटीआई के पास खैलार बीएचइएल थाना बबीना जनपद झाँसी को **20 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 13.01.2026
प्रेस विज्ञप्ति 30/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 40 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12/13-01-2026 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोण्डा–बहराइच रोड जगदीशपुर मोड़ के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दौलत खान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 40 हजार रूपये नगद, चोरी के सफेद धातु के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर, शाहजहाँपुर, गोण्डा, उत्तराखण्ड के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गोण्डा से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दौलत खान निवासी ग्राम महोलिया थाना अलीगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–चोरी के 40 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सफेद धातु के आभूषण।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बरेली/थाना फरीदपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 400 ग्राम अवैध मॉरफीन**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 ट्रक**
- **01 नोट गिनने की मशीन बरामद**

दिनॉकः 12.01.2026 को थाना फरीदपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेशमाबाग फ्लाई ओवर के पास से 03 अभियुक्तों 1–अफजल 2–हसनैन 3–तसलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 400 ग्राम अवैध मॉरफीन, 03 मोबाइल फोन, 01 ट्रक, 01 नोट गिनने की मशीन बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त तसलीम के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अफजल निवासी मोहल्ला खानपुरा कस्बा व थाना मीरगंज जनपद बरेली।

2–हसनैन निवासी ग्राम मवई काजियान थाना शेरगढ़ जनपद बरेली।

3–तसलीम निवासी वावर नगर थाना मीरगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 40 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 400 ग्राम अवैध मॉरफीन।

2–03 मोबाइल फोन।

3–01 ट्रक।

4–01 नोट गिनने की मशीन।

➢ **जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामेन्द्र उर्फ रामू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली फर्रूखाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली फर्रूखाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद फतेहपुर/थाना असोथर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 09 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना असोथर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि व 25/27 आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त बच्छराज को 09 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————